

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.13(डब्ल्यूडीटी)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2015-16/4814-4859 दिनांक : 29.3.16

आदेश

विभाग के प्रस्ताव पैरा (175-186/एन) के क्रम में वित्त विभाग की टिप्पणी पैरा 187/एन के उपरान्त पीआईए स्तर पर जलग्रहण विकास दल सदस्यों के विषयवार संख्या का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी के साथ परियोजनाओं की संख्या	जलग्रहण विकास दल सदस्य				
		अभियांत्रिकी	सामाजिक विज्ञानी	कृषि	पशुपालन	कुल
1	1	1	1	1	1	4
2	2-3	2	2	1	1	6
3	3 से अधिक	2	2	2	2	8

नियोजन की प्रक्रिया, देय मानदेय, एमओयू, योग्यता एवं अन्य हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। उक्त आदेश 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगे।

उक्त निर्देशों की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जावे।

(अनुराग भारद्वाज)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
एसएलएनए एवं आयुक्त

क्रमांक : एफ.13(डब्ल्यूडीटी)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2015-16/4814-4859 दिनांक : 29.3.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, अध्यक्ष राजस्थान रिवर बेसिन एण्ड वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग अथोरिटी, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
5. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, समस्त।
6. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन), आयुक्तालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय समस्त।
9. अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद, समस्त।
10. ए.सी.पी., आयुक्तालय, जयपुर को उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
एसएलएनए एवं आयुक्त